I

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

नगरपालिका निर्वाचन, 2026
अति आवश्यक

संख्या– प0नि0 30–113/2025 1984
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.),
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

पटना दिनांक– 14.5.26

विषय– मल्टी पोस्ट एस 3 ई.वी.एम. के प्रबंधन हस्तक उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में पंचायत एवं नगरपालिका निर्वाचन मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. द्वारा कराया जाना है। मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा ई.वी.एम. प्रबंधन हस्तक तैयार किया गया है, जिसकी प्रति अनुपालन हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. का प्रबंधन हस्तक आयोग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक– प.नि. 30–113/2025 1984 पटना, दिनांक– 14.5.26

प्रतिलिपि– सभी नोडल पदाधिकारी–सह–जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक– प.नि. 30–113/2025 1984 पटना, दिनांक– 14.5.26

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक– प.नि. 30–113/2025 1984 पटना, दिनांक– 14.5.26

प्रतिलिपि–आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि ई.वी.एम. हस्तक को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

सचिव।

ज्ञापांक– प.नि. 30–113/2025 1984 पटना, दिनांक– 14.5.26

प्रतिलिप– Vigrous टीम/श्री राहुल कुमार, एस.ई.आर. तकनीकी टीम /श्री विकास सिन्हा, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847) E-mail: secbihar

E:\dhiru\Prem sir letter.2.docx

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

ईवीएम प्रबंधन हस्तक

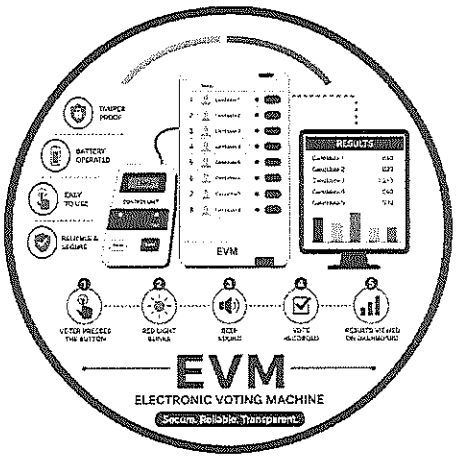

विषय–सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	ईवीएम का जिलेवार आवंटन	3–4
2	ईवीएम के भंडारण, परिवहन एवं सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश	5–22
3	प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	23–30
4	ईवीएम का रैण्डमाईजेशन	31–34
5	ई.वी.एम. की कमीशनिंग, अस्थायी वेयर हाउस तथा स्ट्रॉंग रूम	35–36

अध्याय – 1

ईवीएम का जिलेवार आवंटन

1.1 जिलों/ प्रमंडलों के लिए ईवीएम का आवंटन पंचायत /नगर निकाय के मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। जिलों के लिए ईवीएम का निर्धारण अधिकतम मतदान केन्द्र के आधार पर मतदान केन्द्रों को राऊण्ड ऑफ कर उसमें 25 प्रतिशत रिजर्व एवं प्रशिक्षण के लिए निर्धारित संख्या को जोड़कर किया गया है। जिलों को ईवीएम उनके स्थानीय निकायों के मतदान केन्द्रों (नगर या पंचायत, जो भी ज्यादा हो) के आधार पर प्रदान की जा रही है।

1.2 आयोग द्वारा प्रदत्त की जा रही ईवीएम के एक सेट में एक कंट्रोल यूनिट (एस.एम.एम. सहित) एवं छः बैलेट यूनिट शामिल है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा प्रति कंट्रोल यूनिट एक अतिरिक्त एस.एम.एम. एवं टोटलाईजर प्रदान की जा रही है।

1.3 जिलों को ईवीएम का आवंटन समय समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जो कि आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगा। जिलेवार आवंटन निम्न तालिका के अनुसार होगा –

प्रमंडल	जिला	निर्वाचन हेतु आवंटित ईवीएम रिजर्व सहित	प्रशिक्षण हेतु आवंटित ईवीएम	कुल आवंटित ईवीएम	प्रशिक्षण हेतु पूर्व में प्रदत्त ईवीएम
1	2	3	4	5	6

प्रमंडल	जिला	निर्वाचन हेतु आवंटित ईवीएम रिर्जव सहित	प्रशिक्षण हेतु आवंटित ईवीएम	कुल आवंटित ईवीएम	प्रशिक्षण हेतु पूर्व में प्रदत्त ईवीएम
1	2	3	4	5	6

1.4 प्रशिक्षण हेतु पूर्व में प्रदत्त ईवीएम सेट में एक कंट्रोल यूनिट के साथ छः/तीन बैलेट यूनिट प्रदत्त (पंचायत/नगरपालिका) की जायेगी। प्रत्येक जिले को प्रति कंट्रोल यूनिट एक अतिरिक्त एस.एम.एम. एवं टोटलाईजर भी प्रदत्त की जायेगी।

1.5 यह ध्यान रखा जाये कि एस.एम.एम. निर्वाचन के लिए केवल एक बार ही उपयोग में लाई जायेगी, निर्वाचन उपरांत एस.एम.एम. को सीलबंद कर दिया जायेगा और सीलबंद एस.एम.एम. का निष्पादन आयोग के निर्देशानुसार किया जायेगा।

1.6 प्रत्येक निर्वाचन में हमेशा नवीन एस.एम.एम. का प्रयोग किया जायेगा। आयोग द्वारा भविष्य में होने वाले निर्वाचनों के लिए पृथक से एस.एम.एम. जिलों को प्रदत्त की जायेगी।

****

अध्याय – 2

ईवीएम के भण्डारण, परिवहन एवं सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश

2.1 आयोग द्वारा आगामी नगर निकाय एवं पंचायत निर्वाचन S3 ईवीएम से कराये जाने हेतु जिलों को बहुपद S3 ईवीएम प्रदान की जायेगी। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और एस.एम.एम. का यूनिक आई.डी. विनिर्माता कम्पनी ECIL द्वारा प्रदान किया जायेगा जिसे आयोग द्वारा संसूचित किया जायेगा।

2.2 जिलों को आवंटित की गई ईवीएम का सम्पूर्ण नियंत्रण (कस्टोडियन) **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी होंगे**। जिला स्तर पर **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी** के सहयोग हेतु **जिला पंचायत राज पदाधिकारी**, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के सभी ईवीएम के **स्थायी नोडल पदाधिकारी** होंगे। **अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी** अथवा जिस प्रखण्ड में वेयर हाउस अवस्थित है, उस प्रखण्ड के प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी 'वेयर हाउस प्रभारी के रूप में स्थायी रूप से कार्य करेंगें। जिला पंचायत राज कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग के सभी ईवीएम के लिए अलग से वेयर हाउस का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होंगे, तथा राज्य निर्वाचन आयोग के वेयर हाउस से ईवीएम के हस्तांतरण/प्राप्ति आयोग के निदेश के आलोक में ही सुनिश्चित करेंगे। उक्त ईवीएम किसी भी स्थिति में जिले के बाहर आयोग की अनुमति के बिना नहीं भेजी जायेगी। अपरिहार्य स्थिति में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग की लिखित अनुमति से किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु ईवीएम एक निश्चित अवधि के लिए अन्य जिले/राज्य को हस्तांतरित या उधार में दी जा सकेगी। प्रयोजन पूर्ण होने के पश्चात् ईवीएम वापसी मूल जिले में हो इसका प्रबंधन एवं अनुश्रवण जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी करेंगे। नोडल पदाधिकारी के स्थानांतरण होने पर नये पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम एवं मोबाईल नम्बर अविलम्ब आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा।

2.3 जिलें में ईवीएम के भण्डारण हेतु उपयुक्त वेयर हाउस का निर्धारण **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी** द्वारा किया जाएगा, परन्तु वेयर हाउस की बनावट एवं सुरक्षा मानक तथा परिवहन हेतु पहुँच पथ का मानक शत्–प्रतिशत् भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के वेयर हाउस के समरूप होगी, इसके अतिरिक्त वेयर हाउस के अन्दर यथोचित आकार के कम से कम तीन प्रकोष्ठ/कमरें अधिष्ठापित होंगे, जिसके मुख्य द्वारा पर क्रमशः 'FLC OK EVM' **(हरा रंग)** 'FLC Not OK EVM' **(लाल रंग)** तथा निर्वाचन कार्य के लिए आवंटित EVM **(पीला रंग)** से मोटे अक्षरों से अंकित होना चाहिए, जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकें। उक्त तीनों प्रकोष्ठों/कमरों में अलग–अलग तालों की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पृथक किये गये EVM आपस में मिल नहीं सकें।

2.4 जहाँ तक संभव हो ईवीएम का भण्डारण जिला स्तर पर शासकीय भवन में किया जाये।

2.5 प्रत्येक जिले में एक ही स्थान पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदायित ईवीएम का भण्डारण किया जायेगा। केवल निर्वाचन के समय निर्वाचन कार्यो में प्रयोग हेतु अस्थायी तौर पर अल्पकाल के लिए निर्वाची पदाधिकारी के मुख्यालय स्तर पर ईवीएम जिला

मुख्यालय से प्राप्ति कर रखा जा सकेगा। निर्वाचन समाप्ति के तुरंत बाद इसे विर्निदिष्ट चुनाव स्थल/ जिला मुख्यालय वेयर हाउस में वापस करना अपरिहार्य होगा।

2.6 ईवीएम वेयर हाउस में ईवीएम एवं इसमें लगने वाले उपकरण यथा–एस0एम0एम0, पावर पैक, टोटलाईजर के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं रखी जाये।

2.7 ईवीएम भण्डारण हेतु वेयर हाउस में एक से अधिक प्रवेश द्वार किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। यदि वेयर हाउस में अन्य दरवाजे खिड़कियां है, तो उन्हें ईंट–सीमेंट का प्रयोग करके बंद करा दिया जाये।

2.8 ईवीएम भंडारण हेतु प्रयुक्त वेयर हाउस का प्रवेश द्वार डबल लॉक सिस्टम के द्वारा सुरक्षित होना चाहिए। जिसका संचालन **'वेयर हाउस प्रभारी, अर्थात् ADPRO/BPRO एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी** द्वारा एक साथ किया जायेगा।

2.9 वेयर हाउस नमी, दीमक, बारिश, जीव–जन्तु, चूहों, अग्नि, दरार, पानी के भराव आदि से पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए। वेयर हाउस में आग बुझाने की समुचित व्यवस्था अनिवार्यतः होनी चाहिए। ईवीएम के सुरक्षित भण्डारण हेतु संपूर्ण उपाय जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यह मानक भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के समरूप होगा।

2.10 वेयर हाउस पर जिला प्रशासन द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पर्याप्त संख्या में जिला सशस्त्र बल/बिहार मिलिट्री पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाये।

2.11 ईवीएम के वेयर हाउस के निर्धारण के संबंध में एक प्रमाण–पत्र संलग्न **प्ररूप–1** में आयोग को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए है।

2.12 ईवीएम के नियमित भौतिक सत्यापन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी की अध्यक्षता में न्यूनतम 3 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। समिति में वेयर हाउस के प्रभारी अधिकारी को अनिवार्य रूप से सदस्य रखा जायेगा। समिति में स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुमंडल दण्डाधिकारी पदेन सदस्य होंगे। स्थानांतरण अथवा अन्य कारणों से इसमें परिवर्तन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से अविलम्ब होना चाहिए।

2.13 जिला स्तरीय समिति ईवीएम के शत् प्रतिशत भौतिक सत्यापन का कार्य करेगी। शत् प्रतिशत सत्यापन का कार्य ईवीएम की प्राप्ति दिनांक से 7 दिवस की समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। ईवीएम का विस्तृत ब्योरा वेयर हाउस के मास्टर स्टॉक रजिस्टर (MRS) संलग्न **प्ररूप–2** में दर्ज किया जायेगा। प्रत्येक ईवीएम की कार्य स्थिति (अच्छी/ खराब) MSR में दर्ज की जायेगी।

2.14 जिला स्तरीय समिति ईवीएम वेयर हाउस पर संधारित ईवीएम का शत् प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर मास्टर स्टॉक रजिस्टर एवं ईवीएम लेजर में CUs, BUs & SMMs एवं टोटलाईजर के भौतिक सत्यापन की स्थिति दर्ज करेगी तथा संलग्न **प्ररूप–3** में MSR

पर ईवीएम प्राप्ति उपरांत प्रथम भौतिक सत्यापन प्रमाणित करने के साथ ही प्रमाण–पत्र की एक प्रति (संलग्न प्ररूप–3 में) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/ नगरपालिका) –सह–जिला पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। तत्पश्चात् जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/ नगरपालिका) –सह–जिला पदाधिकारी उक्त प्रमाण–पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर प्ररूप–4 के साथ संलग्न कर आयोग को उपलब्ध करायेगें।

2.15 ईवीएम वेयर हाउस से संबंधित समस्त अभिलेख वेयर हाउस प्रभारी अधिकारी के साथ–साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा भी संधारित किये जायेंगे।

2.16 जिला स्तरीय समिति से प्राप्त सत्यापन प्रमाण–पत्र के आधार पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को संलग्न प्ररूप–4 में ईवीएम प्राप्ति के बाद प्रथम भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, ईवीएम की प्राप्ति से अधिकतम 10 कार्यदिवस में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2.17 ईवीएम वेयर हाउस के खुलने एवं बंद होने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–

- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी के अनुमति से **जिला पंचायत राज पदाधिकारी(नोडल पदाधिकारी)** एवं **'वेयर हाउस प्रभारी, अर्थात् ADPRO/BPRO** ईवीएम वेयर हाउस को खोलने एवं बंद करने हेतु अधिकृत होंगे।

- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी के लिखित आदेश के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में वेयर हाउस को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

- वेयर हाउस में ईवीएम को डबल–लॉक सिस्टम में रखा जायेगा। डबल–लॉक सिस्टम के सुचारू रूप से संचालन के लिए **'वेयर हाउस प्रभारी, अर्थात् ADPRO/BPRO एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी** वेयर हाउस के खुलने एवं बंद होने के समय अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे। वे स्वयं तालें में अपनी चाबी लगायेंगे, एवं अपनी चाबी को इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य अधिकारी अथवा व्यक्ति को नहीं देंगे।

- ईवीएम वेयर हाउस के खुलने के दिनांक एवं समय की लिखित सूचना 24 घण्टे पूर्व अथवा जिला पदाधिकारी के **विवेकानुसार** निर्गत की जायेगी। वेयर हाउस खोलने एवं बंद करने से संबंधित लॉगबुक संलग्न प्ररूप–5 में संधारित की जायेगी। **वेयर हाउस के खुलने एवं बंद होने कि संपूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी अनिवार्यतः कराई जायेगी और उसका रिकार्ड जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/ नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।**

2.18 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी के संलग्न प्ररूप–6 में दिये गये लिखित आदेश के बिना ईवीएम वेयर हाउस का खोला जाना और वेयर हाउस से ईवीएम का परिवहन वर्जित होगा।

2.19 संलग्न प्ररूप–6 के आदेश में परिवहन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा तथा अवधि का भी खुलासा किया जायेगा। वेयर हाउस से ईवीएम प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम का आदेश में स्पष्ट उल्लेख होगा।

2.20 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी का लिखित आदेश प्राप्त होने पर, वेयर हाउस का प्रभारी अधिकारी परिवहन की जाने वाली ईवीएम की जानकारी संलग्न प्ररूप–7 में संधारित मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करेगा। वेयर हाउस प्रभारी ईवीएम प्राप्त करने वाले अधिकारी से प्रमाणस्वरूप संलग्न प्ररूप–8 में पावती लेगा।

2.21 यदि आयोग की लिखित अनुमति से ईवीएम को किसी अन्य जिले को उधार दिया जा रहा है तो उसका विवरण संलग्न प्ररूप–9 में संधारित रजिस्टर में किया जायेगा। ईवीएम उधार देने संबंधी पावती भी संलग्न प्ररूप–8 में प्राप्त की जायेगी, उधार लेने के लिए जो भी अधिकारी ईवीएम प्राप्त करने आयेंगे उन्हें संबंधित जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा लिखित आदेश के लिए अधिकृत किया जायेगा। उक्त आदेश में ईवीएम प्राप्त करने वाले अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर भी प्रमाणीकृत किये जायेंगे।

2.22 वेयर हाउस में ईवीएम वापस किये जाने पर उससे संबंधित प्रविष्टि मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज की जायेगी एवं वेयर हाउस प्रभारी द्वारा संलग्न प्ररूप–10 में ईवीएम को वापस जमा करने की रसीद, ईवीएम लौटाने वाले अधिकारी को दी जायेगी।

2.23 निर्वाचन के प्रयोजन से यदि ईवीएम का परिवहन जिला, अनुमंडल, प्रखंड अथवा नगर पालिका मुख्यालय पर किया जाता है तो उक्त ईवीएम को जिला, अनुमंडल, प्रखंड अथवा नगर पालिका मुख्यालय में अस्थाई स्ट्रांगरूम में रखा जायेगा। स्ट्रांगरूम के निर्धारण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी सम्पूर्ण सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। **अस्थाई स्ट्रांगरूम को संचालित करने एवं खोलने तथा बंद करने में भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा जो कि ईवीएम वेयर हाउस के लिए निर्धारित की गई है।** निर्वाचन की समाप्ति की अंतिम प्रक्रिया मतगणना के उपरांत कंट्रोल युनिट एवं बैलेट यूनिट को, अस्थाई स्ट्रांगरूम में न रखते हुए वापस जिले के ईवीएम वेयर हाउस में जमा किया जायेगा अथवा आयोग द्वारा निर्धारित विहित रीति से विनिर्दिष्ट गंतव्य को हस्तांतरित कर दी जायेगी। निर्वाचन में उपयोग की गई एस.एम.एम. को कंट्रोल यूनिट से निकाल कर सील करने और उनका सुरक्षित संधारण करने के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.24 ईवीएम वेयर हाउस जिस भी तिथि को खोला जायेगा, उस दिन वेयर हाउस प्रभारी संलग्न प्ररूप–11 में स्टॉक स्टेटमेंट तैयार कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत /नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा। यदि ईवीएम वेयर हाउस पूरे एक माह तक नहीं खोला जाता है, तब ऐसी स्थिति में वेयर हाउस प्रभारी माह के अंतिम कार्य दिवस को संलग्न प्ररूप–11 में स्टॉक स्टेटमेंट तैयार कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी को भेजेगा।

2.25 जिला स्तरीय समिति प्रत्येक 4 माह में वेयर हाउस में संधारित ईवीएम का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करेगी। भौतिक सत्यापन की कार्यवाही निम्नानुसार दिनांक तक पूर्ण की जायेगी।

प्रथम सत्यापन – 31 जनवरी

द्वितीय सत्यापन – 31 मई

तृतीय सत्यापन – 30 सितम्बर

जिला स्तरीय समिति चतुर्मासिक भौतिक सत्यापन उपरांत संलग्न प्ररूप–12 में प्रमाण–पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगी एवं संलग्न प्ररूप–12 में दिये गये प्रमाण–पत्र को मास्टर स्टॉक रजिस्टर (MSR) में भी दर्ज करेगी।

2.26 जिला स्तरीय समिति के सत्यापन उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत /नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा संलग्न प्ररूप–13 में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट क्रमशः 15 फरवरी, 15 जून एवं 15 अक्टूबर तक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जायेगी।

2.27 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ECIL, Hyderabad के सहयोग से ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो कि आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। जिलों को ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन जानकारी नियमित तौर पर भरा जाना अनिवार्य है, जिसकी आयोग सतत् समीक्षा करेगा।

2.28 ईवीएम भण्डारण, सुरक्षा एवं परिवहन के संबंध में आयोग द्वारा समय समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किया जाएगा, जिसका अक्षरशः अनुपालन सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। जारी किये गये दिशा–निर्देश आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेंगे।

2.29 राज्य निर्वाचन आयोग के वेयर हाउस तथा भारत निर्वाचन आयोग के वेयर हाउस या जिले में मौजूद अन्य वेयर हाउस के मध्य भ्रम की स्थिति न रहे, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा क्रय किये गये ईवीएम हेतु निर्मित वेयर हाउस का नाम "ईवीएम वेयर हाउस, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के वेयर हाउस पर बड़े–बड़े अक्षरों में उक्त का अंकन अनिवार्य होगा।

ईवीएम वेयर हाउस, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के दो सौ मीटर के दायरे में आम जन हेतु निषेधाज्ञा लागू रहेगा, जबतक की इसके निरीक्षण हेतु आयोग अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला दण्डाधिकारी द्वारा उन्हें उस क्षेत्र में आने की अनुमति प्रदान नही की गई हो।

प्ररूप–1

ईवीएम वेयर हाउस के निर्धारण संबंधी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला ..... में ईवीएम के भण्डारण हेतु निम्नानुसार वेयर हाउस का निर्धारण किया गया है।

वेयर हाउस का नाम .....

वेयर हाउस का पूरा पता .....

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त वेयर हाउस ईवीएम के सुरक्षित भण्डारण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है और उक्त वेयर हाउस पर ईवीएम के सुरक्षित भण्डारण के लिए समुचित व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत / नगरपालिका)

–सह–

जिला पदाधिकारी।

नोटः– आयोग के पत्रांक–....., दिनांक–..... में वर्णित एवं हस्तक में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप वेयर हाउस में समुचित व्यवस्थायें कर ली गयी है।

प्ररूप–2

(मास्टर स्टॉक रजिस्टर **MSR**)

मास्टर स्टॉक रजिस्टर क्रमांक : .....

जिले का नाम:–	नोडल पदाधिकारी–सह–जिला पंचायत राज पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल सं0–
अनुमंडल/प्रखंड का नाम–	
वेयर हाउस का नाम–	वेयर हाउस प्रभारी का नाम/पदनाम एवं मोबाईल सं0–
वेयर हाउस का पूरा पता–	

भाग–अ (नियंत्रण यूनिट– CU)

CU ID No.	ट्रंक नंबर	निर्माता कम्पनी का नाम	निर्माण का वर्ष	प्राप्ति का दिनांक	प्राप्ति चालान का क्रमांक	प्राप्ति चालान पर अंकित दिनांक	प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं पद	प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर	वेयर हाउस प्रभारी के हस्ताक्षर	स्थिति अच्छी/खराब	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

भाग–ब (बैलेट यूनिट– BU)

BU ID No.	ट्रंक नंबर	निर्माता कम्पनी का नाम	निर्माण का वर्ष	प्राप्ति का दिनांक	प्राप्ति चालान का क्रमांक	प्राप्ति चालान पर अंकित दिनांक	प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं पद	प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर	वेयर हाउस प्रभारी के हस्ताक्षर	स्थिति अच्छी/खराब	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

भाग–स (सेक्योरड मेमोरी मॉड्यूल– SMM)

SMM ID No.	ट्रंक नंबर	निर्माता कम्पनी का नाम	निर्माण का वर्ष	प्राप्ति का दिनांक	प्राप्ति चालान का क्रमांक	प्राप्ति चालान पर अंकित दिनांक	प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं पद	प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर	वेयर हाउस प्रभारी के हस्ताक्षर	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भाग–द (टोटलाईजर–Totalizer)

Totalizer ID No.	ट्रंक नंबर	निर्माता कम्पनी का नाम	निर्माण का वर्ष	प्राप्ति का दिनांक	प्राप्ति चालान का क्रमांक	प्राप्ति चालान पर अंकित दिनांक	प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं पद	प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर	वेयर हाउस प्रभारी के हस्ताक्षर	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भाग–य (पावर पैक–Power Pack)

Power Pack ID No.	ट्रंक नंबर	निर्माता कम्पनी का नाम	निर्माण का वर्ष	प्राप्ति का दिनांक	प्राप्ति चालान का क्रमांक	प्राप्ति चालान पर अंकित दिनांक	प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं पद	प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर	वेयर हाउस प्रभारी के हस्ताक्षर	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोटः– वेयर हाउस प्रभारी सुविधा हेतु B.U./C.U./SMM/Totalizer के पीछे सरल क्रमांक यथा– 1, 2, 3, 4, 5, ...99, 100..... आदि स्वयं प्रदान कर सकते है एवं इस हेतु एक रजिस्टर तैयार करना आवश्यक होगा, जिसमें सरल क्रमांक के सम्मुख उसका I.D. क्रमांक अंकित रहेगा।

प्ररूप–3

ईवीएम प्राप्ति उपरांत प्रथम भौतिक सत्यापन प्रमाण–पत्र

सत्यापन दिनांक .....
ईवीएम वेयर हाउस का नाम .....
ईवीएम वेयर हाउस का पता.....

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि, उक्त ईवीएम वेयर हाउस में संधारित शत् प्रतिशत ईवीएम का भौतिक सत्यापन किया गया और जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम का ब्योरा मास्टर स्टॉक रजिस्टर MSR में दर्ज कर लिया गया है। वेयर हाउस में ईवीएम की स्थिति निम्नानुसार प्रमाणित की जाती है।

विवरण	कंट्रोल यूनिट–CU	बैलेट यूनिट–BU	SMM	Totalizer
आयोग द्वारा ECIL के माध्यम से प्रदान की गई ईवीएम की संख्या				
वेयर हाउस के मास्टर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज ईवीएम की संख्या				
भौतिक सत्यापन में वेयर हाउस में संधारित पाई गई ईवीएम की संख्या				
भौतिक सत्यापन में वेयर हाउस में संधारित नहीं पाई गई ईवीएम की संख्या				

वेयर हाउस प्रभारी

चयनित सदस्य

नोडल पदाधिकारी–
सह–
जिला पंचायत राज पदा0

प्रतिहस्ताक्षर

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
(पंचायत/नगरपालिका)
–सह–
जिला पदाधिकारी

नोट – वेयर हाउस में भौतिक रूप से अनुपलब्ध ईवीएम के संबंध में कारणों (खराबी/विनष्टीकरण/तोड़–फोड़/लूट/अन्तरण आदि) की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न की जाये।

प्ररूप–4

ईवीएम प्राप्ति के उपरांत प्रथम भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

जिले का नाम –

वेयर हाउस का नाम एवं पता–

विवरण	कंट्रोल यूनिट–CU	बैलेट यूनिट–BU	SMM	Totalizer
आयोग द्वारा ECIL के माध्यम से प्रदान की गई ईवीएम की संख्या				
वेयर हाउस के मास्टर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज ईवीएम की संख्या				
भौतिक सत्यापन में वेयर हाउस में संधारित पाई गई ईवीएम की संख्या				
भौतिक सत्यापन में वेयर हाउस में संधारित नहीं पाई गई ईवीएम की संख्या				

दिनांकः–

जिला पदाधिकारी–सह–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)

नोट – वेयर हाउस में भौतिक रूप से अनुपलब्ध ईवीएम के संबंध में कारणों (खराबी/विनष्टीकरण/तोड़–फोड़/लूट/अन्तरण आदि) की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न की जाये।

प्ररूप–5

वेयर हाउस के खुलने/बंद होने की जानकारी (लॉगबुक)

भाग–"अ" (कंट्रोल यूनिट–CU)

वेयर हाउस खोलने/बंद करने का दिनांक	वेयर हाउस खोलने का उद्देश्य – मतदान/प्रशिक्षण/ मतदाता जागरूकता/ रख–रखाव/डायग्नास्टिक टेस्ट/भौतिक सत्यापन/ न्यायालयीन प्रकरण हेतु/ अन्य जिले को उधार हेतु आदि	उपस्थित अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित हस्ताक्षर	वेयर हाउस प्रभारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4

भाग–"ब" (बैलेट यूनिट–BU)

वेयर हाउस खोलने/बंद करने का दिनांक	वेयर हाउस खोलने का उद्देश्य – मतदान/प्रशिक्षण/ मतदाता जागरूकता/ रख–रखाव/डायग्नास्टिक टेस्ट/भौतिक सत्यापन/ न्यायालयीन प्रकरण हेतु/ अन्य जिले को उधार हेतु आदि	उपस्थित अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित हस्ताक्षर	वेयर हाउस प्रभारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4

भाग–"स" (सेक्योरड मेमोरी मॉड्यूल–SMM)

वेयर हाउस खोलने/बंद करने का दिनांक	वेयर हाउस खोलने का उद्देश्य – मतदान/प्रशिक्षण/ मतदाता जागरूकता/ रख–रखाव/डायग्नास्टिक टेस्ट/भौतिक सत्यापन/ न्यायालयीन प्रकरण हेतु/ अन्य जिले को उधार हेतु आदि	उपस्थित अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित हस्ताक्षर	वेयर हाउस प्रभारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4

भाग–"द" (टोटलाईजर–Totalizer)

वेयर हाउस खोलने/बंद करने का दिनांक	वेयर हाउस खोलने का उद्देश्य – मतदान/प्रशिक्षण/ मतदाता जागरूकता/ रख–रखाव/डायग्नास्टिक टेस्ट/भौतिक सत्यापन/ न्यायालयीन प्रकरण हेतु/ अन्य जिले को उधार हेतु आदि	उपस्थित अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित हस्ताक्षर	वेयर हाउस प्रभारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4

प्ररूप–6

वेयर हाउस खोलने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश

(वेयर हाउस के खुलने के पश्चात् लॉग बुक में चस्पा किया जाये)

1. ईवीएम वेयर हाउस (वेयर हाउस का नाम)....., को दिनांक ..... समय ..... बजे, खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. निम्नांकित अधिकारियों को डबल–लॉक खोलने के लिए अधिकृत किया जाता है। यह अधिकारी वेयर हाउस के खुलने एवं बंद होने के समय अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे।

   1. .....

   2. .....

3. वेयर हाउस को खोलने की अनुमति निम्नलिखित प्रयोजन के लिए दी गई है:–

   .....

   .....

4. वेयर हाउस से उपयुक्त प्रयोजन हेतु ईवीएम प्राप्ति के लिए निम्नांकित अधिकारी को अधिकृत किया जाता है –

   .....

स्थान– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)

दिनांक– –सह–जिला पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

नोट– इसकी एक प्रति वेयर हाउस में चस्पा करने, एक वेयर हाउस के रिकार्ड के लिए तथा एक प्रति जिला कार्यालय के अभिलेख में रखी जाये।

प्ररूप–7

ईवीएम मूवमेंट रजिस्टर

भाग "अ" (कंट्रोल यूनिट–CU)

क्र0	मास्टर स्टॉक रजिस्टर में CU की प्रविष्टि का सरल क्रमांक	CU ID संख्या	CU भेजने का उद्देश्य मतदान/प्रशिक्षण/ मतदाता जागरूकता/ रख–रखाव/ डायग्नास्टिक टेस्ट/भौतिक सत्यापन /न्यायालयीन प्रकरण हेतु आदि	वेयर हाउस से CUs प्रदान करने का दिनांक	वेयर हाउस से CUs प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वेयर हाउस में CUs वापिस करने का दिनांक	वेयर हाउस में CUs वापस जमा करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8

भाग "ब" (बैलेट यूनिट–BU)

क्र0	मास्टर स्टॉक रजिस्टर में BU की प्रविष्टि का सरल क्रमांक	BU ID संख्या	BU भेजने का उद्देश्य मतदान/प्रशिक्षण/ मतदाता जागरूकता/ रख–रखाव/ डायग्नास्टिक टेस्ट/भौतिक सत्यापन /न्यायालयीन प्रकरण हेतु आदि	वेयर हाउस से BUs प्रदान करने का दिनांक	वेयर हाउस से BUs प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वेयर हाउस में BUs वापिस करने का दिनांक	वेयर हाउस में BUs वापस जमा करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8

भाग "स" (सेक्योरड मेमोरी मॉड्यूल–SMM)

क्र0	मास्टर स्टॉक रजिस्टर में SMM की प्रविष्टि का सरल क्रमांक	SMM ID संख्या	SMM भेजने का उद्देश्य मतदान/प्रशिक्षण/ मतदाता जागरूकता/ रख–रखाव/ डायग्नास्टिक टेस्ट/भौतिक सत्यापन /न्यायालयीन प्रकरण हेतु आदि	वेयर हाउस से SMM प्रदान करने का दिनांक	वेयर हाउस से SMM प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वेयर हाउस में SMM वापिस करने का दिनांक	वेयर हाउस में SMM वापस जमा करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8

भाग "द" (टोटलाईजर–Totalizer)

क्र0	मास्टर स्टॉक रजिस्टर में Totalizer की प्रविष्टि का सरल क्रमांक	Totalizer ID संख्या	Totalizer भेजने का उद्देश्य मतदान/प्रशिक्षण/ मतदाता जागरूकता/ रख–रखाव/ डायग्नास्टिक टेस्ट/भौतिक सत्यापन /न्यायालयीन प्रकरण हेतु आदि	वेयर हाउस से Totalizer प्रदान करने का दिनांक	वेयर हाउस से Totalizer प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वेयर हाउस में Totalizer वापिस करने का दिनांक	वेयर हाउस में Totalizer वापस जमा करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8

नोटः– वेयर हाउस प्रभारी सुविधा हेतु B.U./C.U./SMM/Totalizer के पीछे सरल क्रमांक यथा– 1, 2, 3, 4, 5, ...99, 100..... आदि स्वयं प्रदान कर सकते है एवं इस हेतु एक रजिस्टर तैयार करना आवश्यक होगा, जिसमें सरल क्रमांक के सम्मुख उसका I.D. क्रमांक अंकित रहेगा।

प्ररूप–8

वेयर हाउस से ईवीएम प्राप्त करने की पावती

1. वेयर हाउस का नाम एवं पता .....

2. वेयर हाउस प्रभारी का नाम एवं पदनाम, जिसके द्वारा ईवीएम प्रदान की गई .....

.....

3. वेयर हाउस से ईवीएम प्रदत्त करने का दिनांक .....समय .....

4. ईवीएम प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम .....

.....

5. ईवीएम प्राप्त करने का प्रयोजन .....

.....

6. प्रदान की जाने वाली ईवीएम की कुल संख्या –

कंट्रोल यूनिट की कुल संख्या	बैलेट यूनिट की कुल संख्या	एस.एम.एम. की कुल संख्या	टोटलाईजर की कुल संख्या	पावर पैक की कुल संख्या

नोट– वेयर हाउस से प्रदान की जाने वाली ईवीएम की ID No. (BU, CU,SMM, Power Pack एवं Totalizer) सहित सूची वेयर हाउस प्रभारी एवं प्राप्तकर्त्ता अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित कर संलग्न की जाये।

वेयर हाउस प्रभारी–सह–
ADPRO/BPRO के नाम एवं हस्ताक्षर

वेयर हाउस से ईवीएम प्राप्त करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

प्ररूप–9

ईवीएम को अन्य जिले/राज्य को उधार दिये जाने का विवरण

भाग "अ" (कंट्रोल यूनिट–CU)

क्र0	जिले/राज्य का नाम जिसे उधार दिया जा रहा है	अन्य जिले/राज्य को उधार दिये जाने की अनुमति संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	उधार दी गई सी.यू. का विवरण		उधार दिये जाने का प्रयोजन	उधार दिये जाने की अवधि	वेयर हाउस से सी.यू. प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम, जिसे संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किया गया है।	उधार दिये जाने का दिनांक	उधार दिये गये जिले/राज्य से सी.यू. वापस प्राप्त होने का दिनांक	टिप्पणी
			मास्टर स्टॉक रजिस्टर में सी.यू. का प्रविष्टि क्रमांक	सी.यू. की आई. डी. संख्या						

भाग "ब" (बैलेट यूनिट–BU)

क्र0	जिले/राज्य का नाम जिसे उधार दिया जा रहा है	अन्य जिले/राज्य को उधार दिये जाने की अनुमति संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	उधार दी गई बी.यू. का विवरण		उधार दिये जाने का प्रयोजन	उधार दिये जाने की अवधि	वेयर हाउस से बी.यू. प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम, जिसे संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किया गया है।	उधार दिये जाने का दिनांक	उधार दिये गये जिले/राज्य से सी.यू. वापस प्राप्त होने का दिनांक	टिप्पणी
			मास्टर स्टॉक रजिस्टर में बी.यू. का प्रविष्टि क्रमांक	बी.यू. की आई. डी. संख्या						

भाग "स" (सेक्योरड मेमोरी मॉड्यूल–SMM)

क्र0	जिले/राज्य का नाम जिसे उधार दिया जा रहा है	अन्य जिले/राज्य को उधार दिये जाने की अनुमति संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	उधार दी गई एस.एम. एम. का विवरण		उधार दिये जाने का प्रयोजन	उधार दिये जाने की अवधि	वेयर हाउस से एस.एम.एम. प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम, जिसे संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किया गया है।	उधार दिये जाने का दिनांक	उधार दिये गये जिले/राज्य से एस.एम. एम. वापस प्राप्त होने का दिनांक	टिप्पणी
			मास्टर स्टॉक रजिस्टर में एस.एम.एम. का प्रविष्टि क्रमांक	एस.एम. एम. की आई. डी. संख्या						

भाग "द" (टोटलाईजर–Totalizer)

क्र0	जिले/राज्य का नाम जिसे उधार दिया जा रहा है	अन्य जिले/राज्य को उधार दिये जाने की अनुमति संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	उधार दी गई टोटलाईजर का विवरण	उधार दिये जाने का प्रयोजन	उधार दिये जाने की अवधि	वेयर हाउस से टोटलाईजर प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम, जिसे संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किया गया है।	उधार दिये जाने का दिनांक	उधार दिये गये जिले/राज्य से टोटलाईजर वापस प्राप्त होने का दिनांक	टिप्पणी

प्ररूप–10

वेयर हाउस से ईवीएम वापस जमा करने की रसीद

1. वेयर हाउस का नाम एवं पता .....

2. वेयर हाउस प्रभारी का नाम एवं पदनाम, जिसके द्वारा ईवीएम वापस प्राप्त की गई .....

.....

3. वेयर हाउस से ईवीएम वापस प्राप्त करने का दिनांक .....समय .....

4. ईवीएम वापस करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम .....

.....

5. वापस प्राप्त की जाने वाली ईवीएम की कुल संख्या –

कंट्रोल यूनिट की कुल संख्या	बैलेट यूनिट की कुल संख्या	एस.एम.एम. की कुल संख्या	टोटलाईजर की कुल संख्या

वेयर हाउस में ईवीएम जमा करने वाले अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

वेयर हाउस प्रभारी–सह–
ADPRO/BPRO का नाम एवं हस्ताक्षर

नोट– वेयर हाउस से वापस प्राप्त की जाने वाली ईवीएम की ID No. (BU, CU & SMM एवं Totalizer) सहित सूची वेयर हाउस प्रभारी एवं प्राप्तकर्त्ता अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित कर संलग्न की जाये।

प्ररूप–11

ईवीएम स्टॉक की जानकारी

जिले का नाम .....

अनुमंडल/प्रखंड का नाम .....

वेयर हाउस का नाम .....

वेयर हाउस का पता.....

वेयर हाउस के प्रभारी अधिकारी का नाम (पदनाम सहित) .....

वेयर हाउस खोलने का दिनांक

भाग 1

क्र0	विवरण		कंट्रोल यूनिट–CU	बैलेट यूनिट–BU	SMM	Totalizer
1	मास्टर स्टॉक रजिस्टर (MSR) में दर्ज कुल ईवीएम संख्या					
2	वेयर हाउस से बाहर भेजने का कारण, आदेश संख्या एवं तिथि	1. निर्वाचन हेतु				
		2. प्रशिक्षण हेतु				
		3. मतदाता जागरूकता हेतु				
		4. मरम्मत हेतु				
		5. डायगनोस्टिक टेस्ट हेतु				
		6. आयोग की अनुमति से अन्य जिले को उधार				
		7. न्यायालीय प्रकरण हेतु				
		8. अन्य				
4	वेयर हाउस में शेष कुल संख्या					

भाग 2

वेयर हाउस में कंट्रोल यूनिटस की संख्या	कंट्रोल यूनिटस की संख्या जो प्रयोग में लाई जा सकती है	कंट्रोल यूनिटस की संख्या (ID सहित) जो प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है	वेयर हाउस में बैलेट यूनिट्स की संख्या	बैलेट यूनिटस की संख्या जो प्रयोग में लाई जा सकती है।	बैलेट यूनिटस की संख्या (ID सहित) जो प्रयोग में नही लाई जा सकती है	वेयर हाउस में SMM की संख्या	SMM की संख्या जो प्रयोग में लाई जा सकती है।	SMM की संख्या (ID सहितद्ध जो प्रयोग में नही लाई जा सकती है	Totalizer की संख्या जो प्रयोग में लाई जा सकती है।	Totalizer की संख्या (ID सहित) जो प्रयोग में नही लाई जा सकती है	Power Pack की संख्या जो प्रयोग में लाई जा सकती है।	Power Pack की संख्या (ID सहित) जो प्रयोग में नही लाई जा सकती है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

स्थान –

दिनांक–

वेयर हाउस प्रभारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम सहित

नोटः– स्टॉक स्टेटमेंट वेयर हाउस खुलने की तिथि को अथवा/ अन्यथा स्थिति में माह के अंतिम कार्य दिवस को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/ नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से भेजा जाये।

प्ररूप–12

जिला स्तरीय समिति द्वारा ईवीएम की चतुर्मासिक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

भौतिक सत्यापन दिनांक –

जिले का नाम .....

अनुमंडल/प्रखंड का नाम .....

वेयर हाउस का नाम .....

वेयर हाउस का पता.....

वेयर हाउस के प्रभारी अधिकारी का नाम (पदनाम सहित) .....

क्र0	विवरणी	कंट्रोल यूनिट–CU	बैलेट यूनिट–BU	SMM	Totalizer
1	मास्टर स्टॉक रजिस्टर (MSR) में दर्ज कुल ईवीएम संख्या				
2	वेयर हाउस से बाहर, लेकिन जिले के अंदर भेजी गई कुल ईवीएम संख्या				
3	आयोग की अनुमति से अन्य जिले/राज्य को उधारस्वरूप भेजी गई कुल ईवीएम संख्या				
4	शेष ईवीएम (1 –(2+3))				
5	वेयर हाउस में भौतिक सत्यापन में उपलब्ध पाई गई ईवीएम संख्या				
6	अंतर (4 – 5)				
7	ईवीएम संख्या जो प्रयोग में लाई जा सकती है				
8	ईवीएम संख्या जो प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है				

वेयर हाउस प्रभारी	नोडल पदाधिकारी –सह–जिला पंचायत राज पदा0	जिला निर्वाचन पदा0 (पं0/न0पा0) –सह–जिला पदा0

प्ररूप–13

ईवीएम की चतुर्मासिक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

जिले का नाम–

वेयर हाउस का नाम एवं पता

पावर पैक की संख्या जो वास्तव में वेयर हाउस में पाई गई	पावर पैक की संख्या जो वेयर हाउस में नहीं पाई गई	MSR अनुसार वेयर हाउस में संधारित कंट्रोल यूनिट की कुल संख्या	कंट्रोल यूनिट की संख्या जो वास्तव में वेयर हाउस में पाई गई	कंट्रोल यूनिट की संख्या जो वेयर हाउस में नहीं पाई गई	MSR अनुसार वेयर हाउस में संधारित बैलेट यूनिट की कुल संख्या	बैलेट यूनिट की संख्या जो वास्तव में वेयर हाउस में पाई गई	बैलेट यूनिट की संख्या जो वेयर हाउस में नहीं पाई गई	MSR अनुसार वेयर हाउस में संधारित SMM की कुल संख्या	SMM की संख्या जो वास्तव में वेयर हाउस में पाई गई	SMM की संख्या जो वेयर हाउस में नहीं पाई गई	Totalizer की संख्या जो वास्तव में वेयर हाउस में पाई गई	Totalizer की संख्या जो वेयर हाउस में नहीं पाई गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

स्थान –

दिनांक–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी

नोट – वेयर हाउस में भौतिक रूप से अनुपलब्ध ईवीएम के संबंध में कारणों (खराबी/विनष्टीकरण/तोड़–फोड़/लूट/अन्तरण आदि) की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न की जाये।

****

अध्याय–3

प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

3.1 ईसीआईएल हैदराबाद द्वारा ईवीएम मशीन की प्रदायगी सीधे जिलों को की जा रही है। मतदान हेतु ईवीएम को तैयार किये जाने के पूर्व ईवीएम के प्रथम स्तरीय जाँच की कार्यवाही की जाती है। जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जायेगें, जो कि आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेंगे।

3.2 प्रत्येक आम एवं उप निर्वाचन के पूर्व आवश्यक रूप से प्रयोग किये जाने वाले ईवीएम का FLC की जायेगी। कई चरणों/एक से अधिक चरणों में होने वाले आम एवं उप निर्वाचन को एक ही निर्वाचन समझा जाएगा तथा प्रत्येक चरण के पूर्व FLC का कार्य नहीं कराया जाएगा बल्कि प्रथम चरण के पूर्व FLC का कार्य कराया जाएगा जिसे बाकी के चरणों हेतु भी स्वीकार किया जाएगा।

FLC कार्य हेतु आयोग द्वारा समय निर्धारित किया जाएगा, जो यथा सम्भव होने वाले निर्वाचन के सन्निकट होगा। निर्वाचन लड़ने वाले सम्भावित अभ्यर्थियों को FLC कार्य के निरीक्षण की अनुमति होगी परंतु उन्हें इस आशय की स्वघोषणा FLC प्रभारी को सौपनी होगी कि वह अमुक पद के प्रत्याशी है। ऐसे अभ्यर्थी FLC केन्द्र पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/ नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल एवं आदेश का अनुपालन करेंगे। FLC केन्द्र की विडियोग्राफी ऐसे संभावित अभ्यर्थियों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। अतः वह केन्द्र पर किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस, मोबाइल फोन आदि नहीं ला सकेंगे।

3.3 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा FLC का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, जिसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी तथा ईसीआईएल हैदराबाद को प्रदान की जायेगी। तैयार कार्यक्रम के अनुसार ईसीआईएल के प्रतिनिधि के द्वारा FLC का कार्य निर्धारित कार्यक्रम (समय, तिथि एवं स्थल के अनुसार) की जायेगी जिसमें संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा सभी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3.4 FLC में उपस्थित संभावित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर **अनुलग्नक–1** में संधारित रजिस्टर में प्रत्येक दिन ली जायेगी।

3.5 FLC हेतु एक ऐसे बड़े हॉल का चयन किया जाये, जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारियों, ईसीआईएल के इंजीनियर तथा संभावित अभ्यर्थीगण उपस्थित रह कर FLC की सम्पूर्ण प्रक्रिया का आसानी से पालन कर सकें।

3.6 FLC प्रारम्भ किये जाने के पूर्व यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये कि, उक्त कक्ष में अन्य कोई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक मशीन का घटक नहीं हो। कक्ष में प्रवेश के पूर्व मेटर डिटेक्टर के माध्यम से सुरक्षा जाँच के उपरांत ही किसी व्यक्ति का जाना सुनिश्चित किया जाये। कक्ष में केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाये जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो। जिला

निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा जारी परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही किसी भी व्यक्ति को कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी जाये। कक्ष के अंदर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाईल फोन, कैमरा, गोपनीय पेन आदि ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। साथ ही FLC कक्ष से किसी भी प्रकार की वस्तु को बाहर ले जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

3.7 FLC का कार्य ईसीआईएल के अधिकृत इंजीनियर्स/ट्रेनर द्वारा ही किया जायेगा तथा इसकी तकनीकी पहलुओं की जवाबदेही उनपर ही होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी उनके सहयोग हेतु यथोचित संख्या में मास्टर ट्रेनर या अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति उन्हें सहयोग प्रदान करने हेतु कर सकेंगे। **इंजीनियर्स की निष्ठा, कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता हेतु ईसीआईएल पूर्णतः जिम्मेदार होगा, जबकि मास्टर ट्रेनर/पदाधिकारी/कर्मी के संबंध में उक्त जिम्मेदारी संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका) की होगी।** जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी को इस कार्य हेतु अधिकृत इंजीनियर्स की सूची एवं उनके पहचान पत्र क्रमांक लिखित में ईसीआईएल द्वारा प्रदत्त किये जायेंगे। वे इंजिनियर एवं तकनीकी स्टॉफ/मास्टर ट्रेनर जिन्हें ईसीआईएल/जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, उन्हें कक्ष में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। समुचित फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं जाँच उपरांत ही अधिकृत व्यक्तियों को FLC कक्ष में जाने की अनुमति दी जाये।

3.8 ईवीएम की जांच हेतु ईसीआईएल द्वारा विस्तृत चरणबद्ध निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे। कार्य के दौरान इंजीनियर्स द्वारा उपयोग हेतु लाये जाने वाले उपकरणों की सूची उक्त निर्देश में समाहित रहेंगे। सुरक्षाकर्मियों द्वारा सूचीबद्ध उपरोक्त उपकरणों के अतिरिक्त अन्य किसी उपकरणों को FLC हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3.9 FLC के दौरान निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे–

- सर्वप्रथम एड्रेस टैग, मतपत्र, कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर पूर्व से लिखित पते (Superscriptions) को हटाया जायेगा। तदोपरांत पूर्व के निर्वाचन डाटा को हटाये जाने एवं सी.यू. एवं बी.यू. पर धूल (dusting) को साफ करने की कार्यवाही की जायेगी।

- तदोपरांत सी.यू. एवं बी.यू. के कैरिंग बॉक्स, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, केबल, कनेक्टर आदि का भौतिक सत्यापन किया जायेग, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि, उपरोक्त उपकरणों में किसी भी प्रकार की टूट–फूट तो नही है।

- सी.यू. एवं बी.यू. के सभी स्विच, फ्लैप, सील किये जाने के स्थान, स्क्रीन आदि की जांच इंजीनियर्स द्वारा की जायेगी तथा वे ई.सी.आई.एल. द्वारा निर्धारित उन सभी प्रकार की जांच करेंगे, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि, ईवीएम के सभी उपकरण/घटक (Components) मूल (Original) है। उपरोक्त कार्यवाही को ई. सी.आई.एल. के इंजिनियर्स द्वारा अनुलग्नक–2 में संधारित रजिस्टर पर प्रविष्ट

कर यह सत्यापित करेंगे कि ईवीएम के सभी उपकरण/घटक (Components) को उन्हें दिखाया जायेगा।

- यदि ईवीएम में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो, उसे अलग रख कर, उस ईवीएम को ईसीआईएल की फैक्ट्री में सुधार हेतु ले जाया जायेगा। परंतु ईवीएम की मामूली गड़बड़ी जैसे– पॉवर कॉर्ड, क्लॉक आदि जिसे ECIL के अभियंता अपने साथ लाते है, निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार बदल सकते है।

- सी.यू. एवं बी.यू. के प्लास्टिक कवर ईसीआईएल के इंजीनियर्स द्वारा FLC के दौरान संभावित अभ्यर्थी के समक्ष खोला जायेगा तथा पी.सी.बी. एवं ईवीएम के अन्य उपकरण/घटक (Components) को उन्हें दिखाया जायेगा।

- प्रत्येक ईवीएम में सभी अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित स्विच में मत डाल कर मॉक पोल की कार्यवाही की जायेगी। बैलेट यूनिट के प्रत्येक अभ्यर्थी बटन पर कम से कम 3 मत अवश्य डाले जाये। इस प्रकार मॉक पोल की प्रक्रिया में न्यूनतम 50 मत अवश्य डाले जाये। प्रत्येक पद के लिए (अर्थात् प्रत्येक बैलेट यूनिट पर)कम से कम एक अण्डर वोट भी दिया जाये। मत डालने के उपरांत उसके परिणाम एवं अण्डर वोट तथा अनफिनिश्ड वोटर का अवलोकन एवं परीक्षण किया जाए। तदोपरांत मॉक पोल डाटा को ईवीएम से विलोपित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। यदि संभावित अभ्यर्थी उपस्थित हो तो उनको स्वयं मॉक पोल करने हेतु कहा जाना चाहिए। उपस्थित संभावित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर **अनुलग्नक–3** में संधारित रजिस्टर में लिये जाये।

- इस रजिस्टर की फोटोकॉपी, उपस्थित सभी संभावित अभ्यर्थियों को FLC समाप्त होने के तुरंत बाद बाजार दर से फोटो कॉपी शुल्क प्रदान करने के बाद प्रदत्त की जायेगी।

- इस रजिस्टर की फोटोकॉपी अभ्यर्थी सेटिंग की कार्यवाही तथा मतगणना के समय अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों को अवलोकन हेतु उपलब्ध रखी जायेगी।

3.10 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी FLC की सम्पूर्ण कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु वरीय उप समाहर्ता से अन्यून स्तर का (Not Below the Rank of) एक अधिकारी नामित करेगा। FLC की सम्पूर्ण प्रक्रिया की निरंतर वीडियोग्राफी की जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका) –सह–जिला पदाधिकारी की अभिरक्षा में वीडियो सी.डी. रखी जायेगी। FLC कक्ष में सीसीटीवी कैमरा इस तरह से लगाया जायेगा कि, FLC की प्रक्रिया को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी अपने कार्यालय के सीसीटीवी में देख सके।

3.11 FLC के समाप्ति के उपरांत कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट के सही पाये जाने पर 'FLC OK' अंकित हरा रंग का स्टीकर **(अनुलग्नक–4)** पृष्ठ भाग पर एक लगाया जायेगा, जबकि उनके खराब पाये जाने पर 'FLC Not OK' अंकित लाल रंग का स्टीकर **(अनुलग्नक–4)** पृष्ठ भाग पर एक लगाया जायेगा। ईसीआईएल के इंजीनियर तथा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा स्टीकर के संबंधित कॉलम में तिथि सहित हस्ताक्षर करेंगे। कंट्रोल यूनिट के यूनिक मशीन नम्बर को स्टीकर के संबंधित कॉलम में दर्शाया जायेगा। इसके उपरांत कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट को पूरी सावधानी के साथ वेयर हाउस में अलग–अलग सुरक्षित रखे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

3.12 FLC जांच किये गये तथा सत्यापित किये गये उपरोक्त कंट्रोल यूनिट एवं बैलट यूनिट का एक पृथक डाटाबेस तैयार किया जायेगा तथा इसे रेण्डमाईजेशन के लिए तैयार रखा जायेगा। उक्त डाटाबेस में कंट्रोल यूनिट एवं बैलट यूनिट के विस्तृत विवरणी अंकित रहेंगे, जिसमें उक्त मशीनों का नंबर रहेगा। डाटा बेस में उस बॉक्स नंबर का भी समावेश रहेगा, जिसमें कंट्रोल यूनिट एवं बैलट यूनिट को रखा गया है।

3.13 उक्त विवरणी की प्रति मांगे जाने पर FLC में उपस्थित संभावित अभ्यर्थियों को बाजार दर पर फोटो कॉपी हेतु निर्धारित शुल्क को अदा करने के उपरांत प्रदान की जा सकती है।

3.14 **FLC Ok एवं FLC Not Ok ईवीएम को हमेशा वेयर हाउस में बने डेडिकेटेड प्रकोष्ठ में रखा जाएगा, ताकि वे आपस में मिल न सके।**

अनुलग्नक–1

(ईवीएम के FLC का उपस्थिति रजिस्टर)

जिलो का नाम :

FLC किये जाने का स्थान व पता :

तिथि :

क्र0	निर्वाचन में भाग लेने वाले संभावित अभ्यर्थी के प्रा0नि0क्षे0 का नाम एवं उस पद का नाम जिसके लिए उन्हें चुनाव लड़ना है।	उपस्थित संभावित अभ्यर्थी का नाम	पहचान दस्तावेज का क्रमांक एवं दिनांक	संभावित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6

ECIL के इंजिनियर के हस्ताक्षर

नाम.....

आई.डी. नंबर .....

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
(पंचायत/नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा
नामित अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

नोट : उक्त उपस्थिति रजिस्टर की प्रति रजिस्टर पर चस्पा की जाये।

अनुलग्नक–2

(ECIL द्वारा ईवीएम का सत्यापन)

जिले का नामः

FLC किये जाने का स्थान व पताः

तिथिः

यह सत्यापित किया जाता है कि दिनांक ..... को ECIL द्वारा ईवीएम के घटकों (Components) के मूल (Original) होने की सुनिश्चितता के संबंध में निर्धारित जांच की गई। उक्त जांच के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, निम्नलिखित ईवीएम के सभी घटक वर्तमान में कार्यशील एवं निर्वाचन कार्य में प्रयोग हेतु उपयुक्त हैं। सभी घटक मूल (Original) हैं।

भाग–1

कंट्रोल यूनिट

सरल क्रमांक	कंट्रोल यूनिट का बॉक्स क्रमांक	कंट्रोल यूनिट का आई.डी. क्रमांक

भाग–2

बैलेट यूनिट

सरल क्रमांक	बैलेट यूनिट का बॉक्स क्रमांक	बैलेट यूनिट का आई.डी. क्रमांक

भाग–3

SMM

सरल क्रमांक	एस.एम.एम. का बॉक्स क्रमांक	एस.एम.एम. का आई.डी. क्रमांक

भाग–4

Totalizer

सरल.क्रमांक	टोटलाईजर का बॉक्स क्रमांक	टोटलाईजर. का आई.डी. क्रमांक

ECIL के इंजिनियर के हस्ताक्षर

नाम.....
आई.डी. नंबर .....

अनुलग्नक–3

(ईवीएम के FLC के दौरान मॉक पोल का प्रमाणीकरण)

तिथिः

जिले का नामः

FLC किये जाने का स्थान व पताः

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने ..... (संख्या) ईवीएम पर मॉक पोल का निरीक्षण किया। मैंने यह पाया कि बैलेट यूनिट पर जिस अभ्यर्थी का बटन दबाया जा रहा है, उसी के सामने की लाईट जल रही है एवं कंट्रोल यूनिट में उसी को वोट मिल रहा है। ईवीएम की कार्यप्रणाली से पूर्णतः संतुष्ट हूँ।

क्र0	निर्वाचन में भाग लेने वाले संभावित अभ्यर्थी के प्रा0नि0क्षे0 का नाम एवं उस पद का नाम जिसके लिए उन्हें चुनाव लड़ना है।	उपस्थित संभावित अभ्यर्थी का नाम	पहचान दस्तावेज का क्रमांक एवं दिनांक	संभावित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

अनुलग्नक–4

(FLC OK हरा रंग के स्टीकर का प्ररूप)

निर्वाचन का नाम	नगर/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन
जिले का नाम	
कंट्रोल/बैलेट यूनिट आई.डी. क्रमांक	
कंट्रोल/बैलेट यूनिट जिस बॉक्स में रखी गई है उसका क्रमांक	
एस.एम.एम. जिस बॉक्स में रखी गई है उसका क्रमांक	
प्रथम स्तरीय जांच (FLC) की तिथि	
ई.सी.आई.एल. के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि/ ADPRO/BPRO के हस्ताक्षर	
रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर	

(FLC Not OK लाल रंग के स्टीकर का प्ररूप)

निर्वाचन का नाम	नगर/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन
जिले का नाम	
कंट्रोल/बैलेट यूनिट आई.डी. क्रमांक	
कंट्रोल/बैलेट यूनिट जिस बॉक्स में रखी गई है उसका क्रमांक	
एस.एम.एम. जिस बॉक्स में रखी गई है उसका क्रमांक	
प्रथम स्तरीय जांच (FLC) की तिथि	
ई.सी.आई.एल. के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि/ ADPRO/BPRO के हस्ताक्षर	
रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर	

****

अध्याय–4

ई.वी.एम. का रेण्डमाईजेशन

4.1. पंचायत निर्वाचन और नगर निकाय निर्वाचन में आयोग द्वारा ई.वी.एम का उपयोग किया जाता है। निर्वाचन में मतदान केन्द्रों पर ई.वी.एम. का आवंटन रेण्डमाईजेशन द्वारा किया जायेगा। रेण्डमाईजेशन का आशय यह है कि, किस निर्वाची पदाधिकारी द्वारा कौन–कौन से ईवीएम का उपयोग अपने प्रादेशिक क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर किया जाएगा। इसका निर्धारण पारदर्शी तरीके से आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से किया जायेगा।

4.2 रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया जिले के आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी (NIC) द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह– जिला पदाधिकारी के निर्देशन में की जायेगी। रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया की शुद्धता के लिए **आई.टी. प्रबंधक पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।**

4.3 रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ई.वी.एम. ट्रेकिंग एवं मॉनिटरिंग एप्लिकेशन के माध्यम से की जायेगी। रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया के लिए आयोग द्वारा पासवर्ड जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.4 रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा ई.वी.एम. जिन सन्दूकों (ट्रंक) में रखी है उनका रेण्डमाईजेशन किया जाएगा। द्वितीय चरण का रेण्डमाईजेशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी के निर्देशन में आई.टी. प्रबंधक द्वारा किया जायेगा। दूसरे चरण में डिवाईस (इससे तात्पर्य प्रत्येक सी.यू. अथवा बी.यू. एवं एस.एम.एम. से है) को मतदान के लिए मतदान केन्द्र के सापेक्षित आवंटित करते हुए आवंटन सूची संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को प्रदान किया जायेगा, ताकि सूची के अनुसार वह कमीशनिंग का कार्य करा सके।

उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण के मतदान हेतु उपयोग में लाये जाने वाले ईवीएम के प्रथम चरण का रैण्डमाईजेशन क्रमशः तीसरे, पाँचवे, सातवें, नौवें ..... चरण के लिए मान्य होगा, ठीक इसी प्रकार द्वितीय चरण के मतदान में उपयोग में लाये जाने वाले ईवीएम के प्रथम चरण का रैण्डमाईजेशन क्रमशः चौथे, छठे, आठवे, दसवे ..... चरण के लिए मान्य होगा।

4.5 ई.सी.आई.एल. द्वारा जिलों को ट्रंक में ई.वी.एम. प्रदत्त की जा रही है। प्रत्येक ट्रंक में 10 डिवाईस (सी.यू. अथवा बी.यू.) रखकर प्रदत्त किये जा रहे है। प्रत्येक ट्रंक को एक यूनिक नम्बर प्रदत्त किया गया है, जो ई.वी.एम. ट्रेकिंग एवं मॉनिटरिंग एप्लिकेशन पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा यह निर्देश दिये गए है कि जो भी डिवाईस जिस नम्बर के ट्रंक में ई.सी.आई.एल. से प्राप्त हुई है, हमेशा उसी ट्रंक में ही रखी जायेगी। डिवाईस का निर्वाचन में उपयोग होने के बाद उसे पुनः उसके लिए निर्धारित ट्रंक में वापस रखा जायेगा।

4.6 रैण्डमाईजेशन की प्रक्रिया सामान्यतः किया जाएगा, परन्तु समयाभाव, अन्य व्यवहारिक कठिनाई यथा– ईवीएम के पारगमन में लगने वाले समय की अधिकता आदि के कारण आयोग के दिशा–निर्देश पर इसे सिथिल भी किया जा सकेगा।

4.7 रेण्डमाईजेशन की कार्यवाई करने के पूर्व निम्नलिखित कार्य पूर्ण करने होंगेः–

प्रशिक्षण हेतु ई.वी.एम. का आरक्षण–

- आयोग द्वारा प्रशिक्षण हेतु आरक्षित ई.वी.एम की संख्या प्रत्येक जिले के लिए निर्धारित की गई है। आयोग द्वारा पूर्व में जन जागरूकता हेतु कुछ ई.वी.एम. जिलों को प्रदत्त की जायेगी। यह सभी ई.वी.एम केवल प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाई जायेगी। इसके बाद नयी खेप में ई.सी.आई.एल. द्वारा सबसे पहले प्रदत्त होने वाली ई.वी.एम. केवल प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाई जायेगी। इसके बाद नयी खेप में ई.सी.आई.एम. द्वारा सबसे पहले प्रदत्त होने वाली ई.वी.एम. इस हेतु निर्धारित अधिकतम संख्या तक प्रशिक्षण के लिए आरक्षित होंगी।

- आयोग द्वारा एप्लिकेशन में यह प्रावधान किया गया है कि ई.सी.आई.एल. द्वारा प्रदत्त की जाने वाले ई.वी.एम. जैसे ही जिलों द्वारा फिजिकली वेरिफाईड की जायेंगी वह प्रशिक्षण अथवा निर्वाचन हेतु आरक्षित हो जायेगी।

- प्रशिक्षण हेतु आरक्षित ई.वी.एम. पर एक पीले रंग का स्टीकर जिस पर "प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता" स्पष्ट लिखा हो को चिपकाया जाए।

- रेण्डमाईजेशन की कार्यवाई करने के पूर्व ई.वी.एम. ट्रेकिंग एवं मॉनिटरिंग एप्लिकेशन में मतदान केन्द्रों की जानकारी फीड करनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि, मतदान केन्द्रों की जानकारी सही–सही दर्ज है, अन्यथा रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो जायेगी।

- रेण्डमाईजेशन की कार्यवाई प्रारम्भ करने के पूर्व यह भी आवश्यक है कि ई.वी. एम. का एफ.एल.सी. पूर्ण कर ली जाए। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एफ.एल.सी. की कार्यवाई पूर्ण कर लेना चाहिए।

- एफ.एल.सी. के माध्यम से ई.वी.एम. को वर्किंग और नॉन–वर्किंग कंडीशन में वर्गीकृत किया जायेगा। वर्किंग कंडीशन वाली ई.वी.एम. निर्वाचन के लिए रेण्डमाईजेशन हेतु उपलब्ध होंगी।

- रैण्डमाईजेशन की प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि यदि चाहे तो उपस्थित रह सकते है, परन्तु उनको इस हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका) –सह–जिला पदाधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।

4.8 प्रथम चरण रेण्डमाईजेशन **(First Stage Randomisation)** –

- प्रथम चरण का रेण्डमाईजेशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी के द्वारा यथा संभव प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जायेगा।

- प्रथम चरण का रेण्डमाईजेशन हेतु तिथि का निर्धारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका) –सह–जिला पदाधिकारी के विवेकाधीन होगा।
- प्रथम चरण का रेण्डमाईजेशन ट्रंक का होगा। इस रेण्डमाईजेशन के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को ट्रंक आवंटित किये जायेंगे। प्रत्येक ट्रंक में यथासंभव दस डिवाईस होंगे। एफ.एल.सी. के दौरान जो डिवाईस नॉनवर्किंग पाए जायेंगे वह रेण्डमाईजेशन में शामिल नहीं होंगें। ऐसी स्थिति में कुछ ट्रंक में डिवाईस की संख्या इस से कम हो सकती है।
- पंचायत /नगर निर्वाचन की स्थिति में प्रथम रेण्डमाईजेशन के दौरान सभी चरणों के लिए एक साथ ट्रंक का आवंटन किया जायेगा। पंचायत निर्वाचन में प्रथम चरण में उपयोग में आने वाली ई.वी.एम. का तृतीय चरण में उपयोग में लाया जायेगा। अतः प्रथम चरण में शामिल होने वाले ट्रंक तृतीय चरण में भी आवंटित होंगे। इस क्रम को आगे तृतीय चरण से पंचम, सप्तम्..... आदि तक विस्तृत किया जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में शामिल होने वाले ट्रंक चौथे चरण में भी आवंटित होंगे, तथा उपरोक्त विधि से उनका भी विस्तार निर्धारित चरणों तक किया जायेगा।
- नगर निकाय निर्वाचन की स्थिति में एक कंट्रोल यूनिट के साथ तीन बैलेट यूनिट उपयोग में लाई जायेंगी। अतः प्रथम चरण के रेण्डमाईजेशन में कंट्रोल यूनिट के एक ट्रंक के साथ बैलेट यूनिट के तीन ट्रंक पेयर के रूप में आवंटित होंगे। कंट्रोल यूनिट की पेयरिंग रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ई.वी.एम. की कमीशनिंग के समय की जायेगी।
- पंचायत निर्वाचन की स्थिति में एक कंट्रोल यूनिट के साथ छः बैलेट यूनिट उपयोग में लाई जायेंगी। अतः प्रथम चरण के रेण्डमाईजेशन में कंट्रोल यूनिट के एक ट्रंक के साथ बैलेट यूनिट के छः ट्रंक पेयर के रूप में आवंटित होंगे। कंट्रोल यूनिट के साथ बैलेट यूनिट की पेयरिंग रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ई.वी. एम. की कमीशनिंग के समय की जायेगी।
- रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान केन्द्रों की संख्या में आयोग द्वारा निर्धारित संख्या के आधार पर रिर्जव सहित ईवीएम/ट्रंक आवंटित किये जायेंगे।
- प्रथम चरण का रैण्डमाईजेशन एक बार किये जाने के उपरांत सामान्यतः दुबारा नहीं किया जाएगा, परंतु किसी अभ्यर्थी के द्वारा लिखित अनुरोध करने पर यदि जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह समाधान हो कि ऐसा कराया जाना आवश्यक है, तो वह दुबारा प्रथम चरण का रैण्डमाईजेशन करा सकते है।

4.9 द्वितीय चरण रेण्डमाईजेशन **(Second Stage Randomisation)** –

- द्वितीय चरण का रेण्डमाईजेशन प्रथम चरण के समाप्ति के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका) –सह–जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
- द्वितीय चरण का रेण्डमाईजेशन जिला पदाधिकारी के सामान्य निर्देशन में जिला के आई.टी. मैनेजर द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में की जाएगी।

- प्रथम चरण में रैण्डमाईजेशन के उपरांत निर्वाची पदाधिकारी को आवंटित बॉक्स के सिरियल क्रमांक एवं मतदान क्रमांक के आवंटन हेतु Computrized रैण्डमाईजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

  रैण्डमाईजेशन के उपरांत आवंटित मतदान केन्द्र के सम्मुख BU-CU तथा SMM का सिरियल क्रमांक अंकित करते हुए सूची तैयार कर निर्वाची पदाधिकारी को हस्तगत करा दी जाएगी। इस सूची के अनुसार ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ईवीएम की कमीशनिंग संबंधित मतदान केन्द्र के अभ्यर्थियों के आलोक में कराना सुनिश्चित करेंगे। यह प्रक्रिया आवश्यक रूप से जिला के आई.टी. प्रबंधक द्वारा कमीशनिंग प्रारम्भ किये जाने के पूर्व पूर्ण करते हुए रैण्डमाईजेशन सूची निर्वाची पदाधिकारी को हस्तगत करा दी जाएगी।

****

अध्याय–5

ई.वी.एम. की कमीशनिंग, अस्थायी वेयर हाउस तथा स्ट्रॉग रूम

5.1 ईवीएम की कमीशनिंग ईवीएम रैण्डमाईजेशन के उपरांत की जाएगी। कमीशनिंग की तिथि इस प्रकार निर्धारित कि जाएगी कि निर्वाचन में प्रयोग होने वाले ईवीएम की पूर्ण तैयारी पोलिंग पार्टी (मतदान दल) को डिस्पैच करने के 48 घंटे पूर्व सम्पादित हो जाये।

5.2 ईवीएम कमीशनिंग का कार्य यथा संभव वेयर हाउस में ही किया जाएगा, परंतु यदि वेयर हाउस में जगह की कमी हो तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह– जिला पदाधिकारी कमीशनिंग हेतु स्थान का निर्धारण कर सकेंगे, परंतु कमीशनिंग स्थल के निर्धारण एवं सुरक्षा उपाय भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप होना आवश्यक है, परंतु यदि आयोग द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया जाता है कि ईवीएम कमीशनिंग का कार्य निर्वाची पदाधिकारी के मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह– जिला पदाधिकारी अपने जिलांतर्गत अस्थायी वेयर हाउस का चयन अपने विवेकानुसार कर सकते है, परंतु अस्थायी वेयर हाउस के चयन में उन्हीं मानकों का अनुपालन किया जाएगा जो स्थायी वेयर हाउस के चयन के लिए निर्धारित हैं।

5.3 **ईवीएम की कमीशनिंग की पूर्ण वैधानिक जिम्मेवारी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी की होगी।** इस कार्य हेतु उन्हें तकनीकी सहायता के लिए ECIL के अभियंता उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं उनके प्रशासनिक क्षेत्र में पदस्थापित /प्रतिनियुक्त अभियंताओं के सेवाऐं सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार प्राप्त कर सकेंगे।

5.4 ईवीएम कमीशनिंग के उपरांत कमीशंड ईवीएम को अलग प्रकोष्ठ में रखा जाएगा।

5.5 ईवीएम कमीशनिंग के उपरांत प्रत्येक कंट्रोल यूनिट (C.U.) का विवरण एक पंजी में संधारित किया जाएगा, जिसका प्रारूप निम्नवत् रहेगा –

क्र0	CU संख्या	Booth संख्या	पंचायत/वार्ड का नाम/प्र0नि0क्षे0 सं0

5.6 कमीशनिंग पूरा होने के उपरांत यदि उन्हें संबंधित प्रखंड या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ले जाना हो, तो पूर्व से ही उस प्रखंड/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप अस्थायी वेयर हाउस की स्थापना की जाएगी। ऐसे वेयर हाउस का अस्तित्व अल्पकाल के लिए अर्थात् निर्वाचन विशेष तक सीमित रहेगा। निर्वाचन के समाप्ति के उपरांत इस वेयर हाउस को समाप्त कर दिया जाएगा, तथा इसमें भण्डारित सभी ईवीएम एवं अनुषंगी उपकरण को अगले प्रखंड अथवा मूल वेयर हाउस में भेज दिया जाएगा। किसी भी हालत में अस्थायी वेयर हाउस में ईवीएम को स्थायी रूप से भण्डारित नहीं किया जाएगा।

5.7 आयोग द्वारा वेयर हाउस के निर्माण हेतु निर्धारित मापदंड के अनुरूप जिला मुख्यालय स्तर पर स्ट्रॉंग रूम की स्थापना की जाएगी, जहॉं पोल्ड ईवीएम का संग्रहण एवं भण्डारण किया जाएगा।

5.8 स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। संवेदनशील क्षेत्रों के ईवीएम को संग्रहीत एवं भंडारित करते समय जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)–सह– जिला पदाधिकारी विवेकानुसार अतिरिक्त सुरक्षा बल को प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

5.9 स्ट्रॉंग रूम में भी वेयर हाउस की तरह डबल लॉक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा डिजिटल लॉक या अन्य सुरक्षा उपायों के उपयोग हेतु निदेश दिया जा सकता है।

5.10 स्ट्रॉंग रूम में भी वेयर हाउस के समान अंदर एवं बाहर C.C.TV. कैमरे का संयोजन आवश्यक होगा।

5.11 आयोग समय–समय पर स्ट्रॉंग रूम के चयन एवं सुरक्षा मानकों में परिवर्तन एवं अभिवृद्धि कर सकेगा, जिसका अनुपालन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत /नगरपालिका)–सह– जिला पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा।

5.12 स्ट्रॉंग रूम में संग्रहित एवं भण्डारित पोल्ड ईवीएम को मतगणना के उपरांत, उसमें डाले गये मतों के ऑंकड़ों को संरक्षित करने के पश्चात, आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अगले चरण में प्रयोग हेतु मुक्त कर दिया जाएगा।

5.13 मुक्त किये गये ईवीएम का उपयोग यदि अगले चरण में किया जाना हो तो उन्हें यथा निदेशित प्रखंड/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को प्रेषित कर दिया जाएगा अथवा उन्हें मूल वेयर हाउस में भण्डारित करने हेतु वापस कर दिया जाएगा। किसी भी हालत में मतगणना समाप्ति के उपरांत मुक्त किये गये ईवीएम को स्ट्रॉंग रूम में भण्डारित नहीं किया जाएगा।

****